***जनपद – संतकबीरनगर*** ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनॉक 06.02.2024***

आज दिनांक 06.02.2024 को *अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन*, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

## *थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 25000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार*

आज दिनांक 06.02.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री अनिल कुमार*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 0337 / 2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हिमताज उर्फ इम्तियाज पुत्र रफीक उर्फ रफी निवासी मैली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण***

हिमताज उर्फ इम्तियाज पुत्र रफीक उर्फ रफी निवासी मैली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

***आपराधिक इतिहासः-***

1- मु0अ0सं0 मु0अ0स0 295/2019 धारा 41,411 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
2- मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 293/2019 धारा 307 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।
3- मु0अ0सं0- मु0अ0स0 294/2019 धारा 3/5/8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम***

उ0 नि0 श्री रजनीश राय, का0 ओमबीर यादव, का0 लक्ष्मीकान्त तिवारी, का0 संतोष यादव, का0 आनन्द प्रकाश, का0 कृष्णा जी।

***जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 06.02.2024***

## *संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 05 सीसीटीवी कैमरे*

*श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 06.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 05 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

*जनपद - संतकबीरनगर                    प्रेस विज्ञप्ति                    दिनॉक 06.02.2024*

***थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध निवारण अधिनियम में वांछित 15000 रुपये के इनामी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों की रोकथाम के दृष्टिगत वांछित / इनामियां अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा  दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2023 धारा 3/5 ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त नाम पता अज्जेय पुत्र मो0 रइस निवासी चाइकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को परसाकला तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 21.04.2023 को डायल 112 पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा 01 गाय को वध करने हेतु चाइकला गाँव के पश्चिम में ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना दुधारा पुलिस द्वारा दबिश दी गयी जिसके उपरान्त रस्सी में बंधी 01 अदद गाय को बरामद किया गया था। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित थी।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-***

अज्जेय पुत्र मो0 रइस निवासी चाइकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

***पंजीकृत अभियोग-***

मु0अ0सं0 107/2023 धारा 3/5 ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-*** उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, का0 मुकेश यादव, का0 प्रदीप शाह।

*जनपद-संतकबीरनगर                    प्रेस विज्ञप्ति                    दिनांक 06.02.2024*

***"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप विस्फोटक अधिनियम के तहत न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा कुल 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

***श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 06.02.2024 को ***न्यायालय ए0सी0जे0 (एस0डी0) जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना मेंहदावल* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 930/2013 धारा 9बी विस्फोटक अधिनियम के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता धर्मेन्द्र पुत्र जवाहरलाल निवासी उत्तरपट्टी कस्बा व थाना मेंहादावल जनपद संतकबीरनगर को धारा 9बी विस्फोटक अधिनियम के तहत न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 20 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

***जनपद – संतकबीरनगर*** ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 06.02.2024***

आज दिनांक 06.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

***शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार***

- ***थाना कोतवाली पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

***पीआरवी आफ द डे***

***पीआरवी 1484 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–*** पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत बंसवारी गांव से इवेन्ट संख्या 07842 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में डी०सी०एम० और बाईक में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में 01 व्यक्ति (राकेश पुत्र राधेश्याम चौहान ग्रा0 सुरैना कटया थाना खजनी जनपद गोरखपुर ) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 02 मिनट में पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुये व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में चौकी प्रभारी बसवारी गांव थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुये व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई

***पीआरवी स्टाफ-* का0 शुभम कुमार सिंह, का0 पंकज यादव, हो0चा0 मेजर यादव ।**

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 44 वाहनों से 44,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनांक 06.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 44 वाहनों से 44,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।